निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 42 / 2023
दायरा दिनांकः—22.06.2023
निर्णय दिनांकः— 3.12.24

उनवान

रामकिशन उम्र 65 वर्ष पुत्र श्रीलाल जाति चमार निवासी भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110,111,128 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 3.12.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राकेश सोनी — प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम भीलवाड़ी पटवार हल्का भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारां में खसरा नं0 126 / 4 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है, जो सम्वत् 2073 से 2076 की जमाबंदी में प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है। इस भूमि का खसरा नक्शा प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है, जिसमें भी खसरा नं0 126 / 4 किस्म बारानी तृतीय को डिमार्केशन करके दिखाया गया है। इस भूमि के आसपास भी अन्य व्यक्तियों के खसरा नम्बरान स्थित है, जो भी इस नक्शे के अन्दर दिखाये गये है। इस भूमि की सीमाओं के बाबत प्रार्थी व अन्य लोगों के बीच मेढ़ सम्बन्धी विवाद होते रहते है, जिससे प्रार्थी अपनी भूमि पर बिना पत्थर गढ़ी के काश्त करने में उसको काफी दिक्कत आती है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी कई बार तहसीलदार छबड़ा को पैमाईश के लिये प्रार्थना पत्र दिये गये, किन्तु उन्होने इसपर कोई ध्यान नही दिया, इस कारण अब प्रार्थी उपरोक्त प्रार्थना पत्र दायर करके अपनी भूमि पर पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान करवाना चाहता है, ताकि उसकी भूमि का क्षेत्रफल सुनिश्चित हो सके। यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष इसी आशय हेतु पेश किया जा रहा है कि सीमाओं के विवाद के लिये श्रीमान को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की उपरोक्त धाराओं में स्पष्ट प्रावधान किया गया है, कि आपके यहां प्रार्थना पत्र पेश करने पर आप सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के आदेश कर सके। जिससे उसकी कृषि भूमि की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडी सम्वत् सम्वत् 2073–76 संख्या संख्या 50 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम भीलवाडी पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भीलवाडी तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थी के खातेदारी में है प्रार्थी की भूमि का नक्शा ट्रेस किया है प्रार्थी की भूमि के आस पास भी अन्य व्यक्तियों के खसरा नम्बर स्थित है। भूमि की सीमाओं के बाबत् प्रार्थी व अन्य लोगों के बीच मेड सम्बन्धि विवाद होते रहतें है प्रार्थी अपनी भूमि पर पत्थर गढी कराना चाहता है। प्रार्थी की भूमि की पैमाईश व पत्थर गढी के आदेश फरमाया जावें सीमाओं के विवाद के लिए राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धाराओं में स्पष्ट प्रावधान है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पैमाईश व पत्थर गढी का आदेश फरमावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 50 में रामकिशन पुत्र श्रीलाल कोम चमार सा0देह भीलवाडा नीचा दर्ज है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम भीलवाडी की आराजी खसरा नम्बर 126/4 रकबा 10 बीघा रामकिशन पुत्र श्रीलाल जाति चमार सा0देह भीलवाड नीचा के नाम खाते दर्ज है उक्त आराजी प्रार्थी को जर्ये आवंटन प्राप्त हुई। भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नही है अन्य व्यक्तियों का कब्जा है उक्त भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नही होना बताया है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का भूमि पर कब्जा नही है प्रार्थी द्वारा पडौसी खातेदारों को भी पक्षकार नही बनाया है। जो कि आवश्यक पक्षकार है पडौसी खातेदारों को बिना सुने एवं भूमि पर कब्जा नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिह गुर्जर)
उपखण्ड अधि
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा